


अनकान रियासत अली बनाम यासीन खॉ वगैरा

16-12-2020. वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर यह पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का राजीनामा हो गया है इसलिए प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः पत्रावली को आज ही पेशी में लिया जाकर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जरिये विडरोल खारीज किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ~~2012~~ ²¹² आर.टी.ए. जरिये विडरोल खारीज किया जाता है एव पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर मूल वाद के सा संलग्न रहे।


16/12/20

